सूचना का अधिकार

सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल– 15

(01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक)

निदेशालय

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइड–www.schooleducation.uk.gov.in

ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

मैनुअल–15

जनसाधारण को विभाग के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन।

<u>सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।</u>

सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण।
प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा विभिन्न सूचनाओं के जनसाधारण तक निम्न उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया जा रहा हैः—

1— समाचार पत्रों के विज्ञप्तियों के प्रकाशन।
2— सूचना अनुभाग (प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे तक)
3—पूछताछ काउन्टर (प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे तक)
4— विभागीय मैनुअल।
5—सी0डी।
6— वैबसाइट— w.w.w. schooleducation.uk.gov.in

प्रतिवर्ष विभागीय प्रगति के माध्यम से कार्यक्रम की प्रगति भी जन सामान्य को उपलब्ध करायी जाती है।

<u>समाचार पत्रों के द्वारा—</u>समय—समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से लोक हित में विभिन्न सूचनाओं को जनसामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के द्वारा समाजिक चेतना एवं विभागीय प्रयासों को नाटक के माध्यम से प्रचारित किया जाता है।
<u>प्रदर्शनी के द्वारा—</u> विभिन्न सामाजिक/सांस्कृतिक त्यौहारों पर प्रदर्शनी आदि के माध्यम से शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को जनसभा तक पहुचाने का कार्य किया जाता है।
<u>सूचना पटो के द्वारा—</u> सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत एवं अन्य जनोपयोगी सूचनओं का प्रकटन निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों के स्तर पर सूचना पटों के द्वारा यथा सम्भव अधिकतम सीमा तक अद्यतन प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जाता है।

अभिलेखों के अवलोकन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा—उपबन्धों के अधीन अनुरोध कर्ता वांछित अभिलेखों/पत्रावलियों का अवलोकन कर सकता है। दस्तावेजो की प्रति प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के करने की व्यवस्था द्वारा—उपबन्धों के अधीन अनुरोध कर्ता वांछित अभिलेखों/पत्रावलियों/दस्तावेजों की प्रति निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकता है। उपलब्ध विभागीय मैनुअल्स सूचना का अधिकार अधिनियम— 2005 की धारा—4 द्वारा—अन्तर्गत तैयार किये गये 17 बिन्दुओं पर उपलब्ध मैनुअल्स के निःशुल्क अवलोकन द्वारा ऐसे किसी भी लोक प्राधिकारी के कार्यालय में जहाँ उक्त 17 मैनुअल्स की प्रति उपलब्ध हो कर सकता है। लोक प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय) के अन्तर्गत तैयार किये गये मैनुअल्स

संख्या 15 सम्बन्धित बैवसाइट का विवरण उपलब्ध कराया गया है। अन्य प्रचार प्रसार के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा जनहित, छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों आदि के हित में समय–समय पर बैठक की जाती है।, प्रगति प्रतिवेदन, शैक्षिक डायरी इत्यादि द्वारा उपलब्ध कराया जाना यथा सम्भव सुनिश्चित किया जाता है।

नाटक/नुक्कड– विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के द्वारा सामाजिक/सांस्कृतिक त्यौहारों पर प्रदर्शनी आदि के माध्यम से शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को जनसभा तक पहुॅचाने का कार्य किया जाता है।

सूचना पटों के द्वारा– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत एवं अन्य जनापयोगी सूचनाओं का प्रकटन निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के स्तर पर सूचना पटों के द्वारा यथासम्भव अधिकतम सीमा तक अद्यतन प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जाता है।

अभिलेखों के अवलोकन द्वारा– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबन्धों के अधीन अनुरोधकर्ता वांछित अभिलेखों/पत्रावलियों का अवलोकन कर सकता है।

दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था द्वारा– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के उपबन्धों के अधीन अनुरोधकर्ता वांछित अभिलेखों/पत्रावलियों/दस्तावेजों के प्रति निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं।